न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी / टी.ए. / 1354 / 2006 / झुंझनू

शीशपाल पुत्र श्री भगवानाराम, जाति कुम्हार निवासी मलसीसर तहसील व जिला झुझंनू।

.....प्रार्थी

बनाम

सेडूराम पुत्र स्व. श्री घडसीराम, जाति रेगर निवासी मलसीसर तहसील व जिला झुंझनू।

.....अप्रार्थी

एकल–पीठ
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

उपस्थितः
श्री सोहनपाल सिंह, अभिभाषक प्रार्थी
श्री श्यामबाबू पारीक) अभिभाषक अप्रार्थी
अमित कसोटिया)

दिनांक : 13–8–2018

निर्णय

1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विद्वान जिला कलेक्टर, झुंझनू के निर्णय दिनांक 20–2–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान जिला कलेक्टर, झुंझनू ने अपने समक्ष जैरकार अपील संख्या–6/2006 शीर्षक शीशपाल बनाम सेडूराम को खारिज किया है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्यानुसार वर्तमान अप्रार्थी सेडूराम ने एक प्रार्थना पत्र संख्या–1/2005 अन्तर्गत धारा–183-B राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, शीर्षक सेडूराम बनाम शीशपाल, न्यायालय तहसीलदार झुंझनू के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि हाल खसरा नम्बर–129 रकबा 1.12 बीघा भूमि में से 1/2 हिस्सा पर वर्तमान अप्रार्थी / प्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी / वर्तमान प्रार्थी को विवादग्रस्त भूमि से बेदखल कर कब्जा दिलाया जावे। विद्वान तहसीलदार ने अपने

निगरानी / टी.ए. / 1354 / 2006 / झुंझनू
शीशपाल बनाम सेडूराम

निर्णय दिनांक 28–11–2005 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–183-B राजस्थान कातश्कारी अधिनियम स्वीकार कर वर्तमान प्रार्थी को बेदखल करने के आदेश पारित किये। तहसीलदार झुंझनू के निर्णय दिनांक 28–11–2005 के विरूद्ध वर्तमान प्रार्थी द्वारा प्रथम अपील संख्या–6/2006 शीर्षक शीशपाल बनाम सेडूराम, न्यायालय जिला कलेक्टर, झुंझनू के समक्ष प्रस्तुत की गयी। विद्वान जिला कलेक्टर, झुंझनू ने अपने निर्णय दिनांक 20–2–2006 के द्वारा अपील को खारिज कर दिया। विद्वान तहसीलदार झुंझनू के निर्णय दिनांक 28–11–2005 तथा विद्वान जिला कलेक्टर, झुंझनू के निर्णय दिनांक 20–2–2006 से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की मुख्य बहस यह है कि तहसीलदार झुंझनू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–11–2005 एकपक्षीय तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है। विद्वान तहसीलदार द्वारा प्रकरण संख्या–1/2005 में हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब की गयी थी। हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 28–9–2005 में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि सेडूराम द्वारा खसरा नम्बर–129 में से 75 X 125 वर्ग फीट का प्लाट गोविन्द पुत्र हरिराम को दिनांक 10–4–1992 को जरिये नोटेरी से बेचान किया गया है तथा यही प्लाट गोविन्द ने वर्तमान प्रार्थी को बेचान किया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी अनाधिकृत रूप से काबिज नहीं होकर सअधिकार काबिज है। विद्वान तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–11–2005 एकपक्षीय होने के कारण तहसीलदार सही तथ्यों से अवगत नहीं हो सके तथा अपना निर्णय दिनांक 28–11–2005 पारित कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील को विद्वान जिला कलेक्टर, झुंझनू ने सरसरी तौर पर ही अपने निर्णय दिनांक 20–2–2006 के द्वारा खारिज कर दिया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एकपक्षीय तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावें।

5– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी की मुख्य बहस यह है कि विद्वान तहसीलदार ने वर्तमान प्रार्थी को नोटिस जारी किया। नोटिस चस्पान्दगी से तामिल हुआ। तामिल पश्चात भी वर्तमान प्रार्थी

तहसीलदार के सामने उपस्थित नहीं हुआ। अनुसूचित जाति की भूमि पर अन्य किसी भी व्यक्ति का कब्जा अनाधिकृत कब्जा है तथा अनाधिकृत कब्जा को धारा–183-B राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हटाया जा सकता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निर्णय है। निगरानी का क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र है। समवर्ती निर्णयों में निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसलिये निगरानी को खारिज किया जावे।

6– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी, बहस पर मनन किया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7– इस प्रकरण का महत्वपूर्ण विवाद बिन्दू यह है कि क्या तहसीलदार द्वारा जारी नोटिस की विधिवत रूप से तामिल हुई है अथवा नहीं एवं क्या तहसीलदार के समक्ष अप्रार्थी / वर्तमान प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है अथवा नहीं। विद्वान तहसीलदार ने अपना निर्णय दिनांक 28–11–2005 एकपक्षीय तौर पर इस आधार पर पारित किया है कि अप्रार्थी का नोटिस जरिये चस्पान्दगी तामिल हुआ है। चस्पान्दगी से तामिल हेतु न्यायालय के आदेश की आवश्यकता नहीं है। तहसीलदार की पत्रावली में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है कि तहसीलदार ने अप्रार्थी की तलबी चस्पान्दगी के माध्यम से करवाये जाने के आदेश पारित किये हों। आदेश–5 नियम–12 सी.पी.सी. के तहत नोटिस की तामिल व्यक्तिगत रूप से होनी चाहिये। आदेश–5 नियम–17 सी.पी.सी. में यह प्रावधान दिया गया है कि अगर नोटिस प्राप्तकर्ता उपलब्ध नहीं हो रहा है एवं उसका कोई ऐजेन्ट नहीं है एवं निकट भविष्य में उसके उपलब्ध होने की कोई संभावना नहीं है तो न्यायालय चस्पान्दगी के आधार पर नोटिस तामिल करवा सकता है। चस्पान्दगी का आदेश न्यायालय का आदेश होगा। पत्रावली के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि तहसीलदार का निर्णय दिनांक 28–11–2005 एकपक्षीय तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है। इस महत्वपूर्ण बिन्दू को विद्वान जिला कलेक्टर ने भी नजरअन्दाज किया तथा अपना निर्णय दिनांक 20–2–2006 पारित कर दिया। तहसीलदार की पत्रावली पर मौजूद हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 28–9–2005 से यह स्पष्ट हो रहा है कि वर्तमान अप्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर–129 में से 75 X 125 वर्ग फीट भूमि का विक्रय जरिये नोटेरी किया है। इस बिन्दू को भी उभयपक्ष की उपस्थिति में ही निर्णित किया जा सकता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि के प्रावधान के विपरीत होने के कारण यह निगरानी स्वीकार की जाती है। विद्वान

निगरानी / टी.ए. / 1354 / 2006 / झुंझनू
शीशपाल बनाम सेडूराम

तहसीलदार झुंझनू का निर्णय दिनांक 28-11-2005 तथा विद्वान जिला कलेक्टर, झुंझनू का निर्णय दिनांक 20-2-2006 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार झुंझनू को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर एवं पत्रावली पर मौजूद हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 28-9-2005 को मध्यनजर रखते हुये प्रकरण को पुनः निर्णित करें। उभयपक्ष दिनांक 17-9-2018 को तहसीलदार झुंझनू के समक्ष उपस्थित होंगे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य